विशेष राज्य परिवहन उपादान सहायता योजना नियमावली–2008

(औद्योगिक विकास अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–488/औ.वि./VII-II-08/2008 दिनांक 29 फरवरी, 2008 के प्रस्तर–5(6) से अनुमोदित)

1. **संक्षिप्त नाम** — यह योजना विशेष राज्य परिवहन उपादान सहायता नियमावली–2008 कहलायेगी।

2. **उद्देश्य** — इस योजना का उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योग लगाने हेतु उद्यमियों को प्रोत्साहित करना तथा उत्पादित कच्चेमाल के आन्तरिक परिवहन में होने वाली लागत बृद्धि की क्षतिपूर्ति कर उत्पादित वस्तुओं के मूल्य को प्रतिस्पर्धात्मक बनाना है।

3. **स्वरूप एवं क्षेत्र** — पर्वतीय क्षेत्रों/जनपदों में स्थानीय संसाधनों पर आधारित ऐसे उद्यम, जो स्वनिर्मित उत्पाद के विनिर्माण/उत्पादन के लिये प्रयुक्त प्रमुख कच्चेमाल का कम से कम 30 प्रतिशत सम्पूर्ति वर्ष में राज्य के अन्दर उत्पादित कच्चेमाल में से करता हो, को यह सहायता प्रदान की जायेगी।

4. **योजना का प्रारम्भ तथा पात्रता अवधि** — यह योजना 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगी। योजना प्रारम्भ होने की तिथि के पश्चात् स्थापित होने वाले पात्र नये उद्यमों को व्यवसायिक उत्पादन आरम्भ करने के दिनांक से अधिकतम 10 वर्ष अथवा 31 मार्च, 2018, जो भी पहले घटित हो, तक यह सुविधा उपलब्ध होगी।

5. **नये तथा स्थानीय संसाधन पर आधारित विनिर्माणक उद्यम**

   1. नये तथा स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्यम का तात्पर्य ऐसे विनिर्माणक सूक्ष्म, लघु, मध्यम तथा बृहत उद्यम से होगा, जिन्हें अधिसूचना संख्या 1961/सात–II/123–उद्योग/08 दिनांक 15 अक्टूबर, 2008 में परिभाषित किया गया है।

   2. कच्चेमाल का तात्पर्य ऐसे माल से है, जिसे किसी उद्यम ने अपने उत्पाद के विनिर्माण में उपयोग किया हो अथवा उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया गया हो। इसमें इकाई द्वारा उत्पादन में उपयोग किये गये समस्त इन्पुट्स सम्मिलित होंगे।

3. तैयार माल का तात्पर्य ऐसे माल से है, जिसे उद्यम ने भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र अथवा केन्द्रीय बिक्रीकर/प्रादेशिक वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीकृत या अनुमोदित उत्पादन कार्यक्रमानुसार वास्तव में उत्पादित किया हो, जिसमें सह उत्पाद भी सम्मिलित होंगे।

6. पात्रता

1. ऐसे उद्यम द्वारा सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय अथवा विकास आयुक्त (हथकरघा एवं हस्तशिल्प) में उद्यमी ज्ञापन (भाग–1 व भाग–2) की अभिस्वीकृति, आई.ई.एम./एस.आई.ए. अथवा विधिमान्य पंजीकरण प्राप्त किया हो।

2. सूक्ष्म, लघु, मध्यम तथा बृहत क्षेत्र के उन सभी उद्यमों, जो कि स्वनिर्मित उत्पाद के विनिर्माण हेतु प्रयुक्त प्रमुख कच्चेमाल का कम से कम 30 प्रतिशत सम्पूर्ति वर्ष में राज्य के अन्दर उत्पादित कच्चेमाल में से करता हो, को यह सहायता अनुमन्य होगी।

3. इस योजना की सुविधा प्राप्त करने हेतु उद्यम को पृथक रूप से सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र में पंजीकरण कराना होगा, जिसके लिये उद्यम से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक वांछित पंजीकरण प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे। आवेदन पत्र तथा प्रमाण पत्र का प्रारूप निदेशक उद्योग द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

4. ईधन, कच्चेमाल अथवा तैयार माल की पैकिंग हेतु प्रयुक्त सामग्री तथा विभिन्न प्रकार की ऐसी सामाग्रियॉ, जो प्रयुक्त होने के उपरान्त नष्ट हो जाती हैं (Consumables) के लिये सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। यह सुविधा 1 अप्रैल, 2008 के बाद स्थापित किये गये समस्त पात्र उद्यमों को अनुमन्य होगी, लेकिन योजना के अन्तर्गत किये गये पंजीकरण की तिथि से अथवा इसके बाद परिवहन किये गये कच्चेमाल तथा तैयार माल पर ही यह अनुदान देय होगा।

7. उपादान की मात्रा एवं सीमा

1. स्वनिर्मित उत्पाद की सालाना बिक्री (Annual Turn Over) पर श्रेणी–ए के जनपदों में कुल सालाना बिक्री का 5 प्रतिशत, अधिकतम रू. 5.00 लाख प्रति वर्ष।

2. स्वनिर्मित उत्पाद की सालाना बिक्री (Annual Turn Over) पर श्रेणी–बी के जनपदों में कुल सालाना बिक्री का 3 प्रतिशत, अधिकतम रू. 3.00 लाख प्रति वर्ष।

3. इकाई की सालाना बिक्री (Annual Turn Over) की पुष्टि व्यापार कर विभाग में दाखिल प्रतिफल (Return) तथा सत्यापन रिर्पोट से की जायेगी।

4. यह छूट उन उद्यमों को देय होगी, जिनके उद्यम में स्वनिर्मित उत्पाद के विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाले कच्चेमाल की वर्ष में कम से कम 30 प्रतिशत सम्पूर्ति प्रदेश के अन्दर उपलब्ध/उत्पादित कच्चेमाल से हो रही हो।

8. अभिलेखों का रख–रखाव

1. इस सुविधा का उपयोग करने वाले उद्यमों को कच्चेमाल तथा तैयार का विस्तृत विवरण अभिलेखों में अंकित करना होगा तथा जब कभी उद्योग विभाग के किसी अधिकृत प्रतिनिधि/प्राधिकारी द्वारा उनकी मॉग की जाय, तो तत्काल उपलब्ध कराने होंगे। यदि इन अभिलेखों के अतिरिक्त अन्य किसी अभिलेख सन्दर्भगत योजना से सम्बन्धित हों, तो उसे भी उद्यम निरीक्षण/सत्यापन हेतु उपलब्ध करायेगी, अन्यथा उसे इस सुविधा का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

9. विशेष परिवहन उपादान दावों का प्रस्तुतिकरण

1. उद्यम द्वारा दावों का प्रस्तुतिकरण निर्धारित आवेदन पत्र पर लेखा वर्ष के आधार पर सम्बन्धित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को किया जायेगा। उद्यम द्वारा प्रथम लेखा वर्ष के परिवहन उपादान दावे उसके अनुवर्ती लेखा वर्ष के द्वितीय माह के अन्त तक सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र को अवश्य प्रस्तुत करने होंगे एवं महाप्रबन्धक अनुवर्ती लेखा वर्ष के तृतीय माह के अन्त तक जॉच/परीक्षण की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अनुवर्ती लेखा वर्ष के चतुर्थ माह में स्वीकृति हेतु जिला स्तर पर गठित जिला उद्योग मित्र समिति की प्राधिकृत समिति के सम्मुख अपनी अनुशंसा प्रस्तुत करेंगे। यदि

किसी उद्यम द्वारा किसी लेखा वर्ष का दावा अपरिहार्य परिस्थितियों में निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार प्रस्तुत न किया जा सके, तो उसे वह दावा विलम्बतः अनुवर्ती लेखा वर्ष के तृतीय माह के अन्त तक अवश्य प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा इसके उपरान्त इस दावे पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

2. प्रत्येक दावे के साथ उद्यम द्वारा कच्चामाल क्रय तथा तैयार माल बिक्री के बिल, कैश मैमो एवं भुगतान प्राप्ति रसीदों की प्रमाणित प्रतियॉ, वाणिज्य कर विभाग में प्रस्तुत रिटर्न तथा वाणिज्य कर विभाग की सत्यापन रिपोर्ट साक्ष्म में उपलब्ध करानी होंगी।

10. दावे की स्वीकृति की प्रक्रिया

1. विशेष राज्य परिवहन उपादान के समस्त दावे, चाहे वह किसी भी धनराशि के हों, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला उद्योग मित्र की प्राधिकृत समिति द्वारा किया जायेगा।

जिला उद्योग मित्र की प्राधिकृत समिति का गठन निम्नवत् होगाः–

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
3.	जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी	सदस्य
4.	सम्बन्धित सम्भागीय परिवहन अधिकारी	सदस्य
5.	सम्बन्धित उपायुक्त, वाणिज्य कर	सदस्य
6.	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र	संयोजक सदस्य

11. उपादान संवितरण की प्रक्रिया

1. उपादान के संवितरण के लिये निदेशक उद्योग संवितरण एजेन्सी के रूप में कार्य करेंगे।

2. जिला उद्योग मित्र की प्राधिकृत समिति से दावा स्वीकृत होने के उपरान्त सम्बन्धित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र निर्धारित प्रारूप पर उपादान स्वीकृति की संसूचना सम्बन्धित उद्यम को जारी करेंगे।

3. प्राधिकृत समिति से दावा स्वीकृत होने पर धनराशि के संवितरण के लिये प्राधिकृत समिति की बैठक के कार्यवृत्त सहित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा धनराशि की मॉग निदेशक उद्योग को

प्रस्तुत की जायेगी।

4. निदेशक उद्योग बजट उपलब्धता के आधार पर स्वीकृत धनराशि/प्राप्त मॉग के सापेक्ष धनराशि का संवितरण करेंगे।

5. उपादान संवितरण से पूर्व राज्य सरकार की ओर से महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा स्थापित नये उद्यम के बीच एक अनुबन्ध/करार किया जायेगा, जिसमें उपादान सहायता की राशि तक की परिसम्पत्तियों, यथाः कार्यशाला भवन, प्लाण्ट व मशीनरी इत्यादि के गिरवी/बन्धक रखना शामिल हो। राज्य सरकार तथा उद्यम के बीच अनुबन्ध/करार हेतु आलेख का निर्धारण कर उसका अनुमोदन निदेशक उद्योग, उत्तराखण्ड के स्तर से किया जायेगा।

12. संवितरण एजेन्सी के अधिकार तथा उपादान प्राप्त करने वाली औद्योगिक इकाई का दायित्व

1. यदि राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट है कि किसी उद्यम ने उपादान हेतु किसी आवश्यक तथ्य के बारे में मिथ्या कथन, मिथ्या जानकारी प्रस्तुत की है अथवा वह उद्यम प्रारम्भ होने से 10 वर्ष के अन्दर उत्पादन बन्द कर देता है, तो राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वह उद्यम को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपादान सहायता वापस करने के लिये कह सकते हैं।

2. निदेशक उद्योग अथवा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना उद्यम के किसी भी स्वामी को उपादान सहायता प्राप्त करने के पश्चात् उस सम्पूर्ण उद्यम या उसके किसी भाग के स्थापना स्थल को बदलने के लिये या उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात् 10 वर्ष की अवधि के अन्दर अपने कुल निर्धारित पूंजी निवेश में प्राप्त संक्षेपन अथवा इसके पर्याप्त भाग का निपटान करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

3. जिन उद्यमों ने रू0 1.00 लाख (रूपये एक लाख मात्र) से अधिक का उपादान प्राप्त किया है, उन्हें उपादान प्राप्त होने के वर्ष से 10 वर्ष तक अंकेक्षित लेखे व उत्पादन/विक्रय विवरण प्रस्तुत करने होंगे। रू0 1.00 लाख (रूपये एक लाख मात्र) से कम उपादान प्राप्त करने वाले उद्यम को उत्पादन व विक्रय की जानकारी देनी होगी।

4. उद्यम को व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात् न्यूनतम 10

वर्ष तक अपना उद्यम चालू रखना होगा। उद्यम का 6 माह की अवधि तक बन्द रखा जाना उद्योग बन्द की श्रेणी में नहीं माना जायेगा। नियंत्रण से परे कारणों पर निदेशक उद्योग का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।

13. अन्य

1. इस योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में यदि कोई स्पष्टीकरण वांछित होगा, तो ऐसे मामले उद्योग निदेशक, उत्तराखण्ड को सन्दर्भित किये जायेंगे तथा उद्योग निदेशक, उत्तराखण्ड का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।

2. परिवहन उपादान हेतु अपात्र वस्तुओं एवं अपात्र उद्यमों की सूची में समय–समय पर संशोधन करने का अधिकार राज्य सरकार का होगा।

3. परिवहन उपादान से सम्बन्धित प्राप्त आवेदन पत्रों एवं अभिलेखों का रख–रखाव तथा समय–समय पर आडिट इत्यादि का दायित्व महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र का होगा।